(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above (Placed in Library. See No. LT-7529/95).

Notifications of the Ministry of Petroleum and Natural Gas

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SATISH SHARMA): I lay on the Table under sub-section (3) of Section 10 of the Oil and Natural Gas Commission (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Petroleum and Natural Gas:—

1. S.O. No. 135 (E), dated the 2nd March, 1995 regarding authorisation of certain officers of Oil and Natural Gas Corporation Limited, to exercise the powers specified in sub-section (1) and section 9 of the Oil and Natural Gas Commission (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993.

(Placed in Library. See No. LT-7476195)

2. GSR No. 106 (E), dated the 2nd March, 1995 publishing the Oil and Natural Gas Corporation Limited (Payment of Compensation) Rules, 1994.

(Placed in Library. See No. LT-7447195).

Notification of the Ministry of Home Affairs

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): I lay on the Table, under sub-section (3) of Section 490 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Government of the National Capital Territory of Delhi, Notification Order No. 14011/160/89-Delhi, dated the 28th February, 1995, regarding extension of period of supersession of MCD for an additional period of three months w.e.f. 1st March, 1995.

(Placed in Library. See No. LT-7479/95).

(Interruptions)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): इसमें दिल्ली नगर निगम के चुनाव का मामला है, यह जो पी. एम. सईद साहब पेपर लेकर रहे हैं, इस पर जरा सुन लें।

उपसभापति: इसमें क्या समस्या है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: वही तो मैं बता रहा हूं कि 26 फरवरी, को दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल... *(व्यवधान)*...

उपसभापति: आर्डर प्लीज। क्या देर से आया है यह कागज?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: डिले तो है ही, वह तो एक अलग सवाल है। क्योंकि 28 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराना गृह मंत्रालय के अधीन है और 28 फरवरी को वहां सुपरसैशन चल रहा था, इन्होंने तीन महीने के लिए इसको बढ़ा दिया। अब यह कहते हैं कि 1 मार्च से लेकर के-मार्च, अप्रैल, मई-30 जून तक का हमको समय दिया जाए। तो मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस बीच में दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा क्योंकि सुपरसीडिड बोर्ड है, बरसों से चला आ रहा है?

उपसभापति: ऐसा है, मालवीय जी, कि जब पेपर रखे जाते हैं सदन के पटल पर तो उस समय इस तरह के आश्वासन लिए नहीं जाते, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब अगर हर चीज का आश्वासन हम यहां दिलवाने लगें तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप किसी और डिवाइस से यह बात उठाएंगे तो मैं जरूर मंत्री जी से कहूंगी कि इसका जवाब दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: तो डिले ही एक्सप्लेन कर दें। 28 फरवरी को यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई आ गई, दो महीने तीन दिन बीत चुके हैं, आखिर यह डिले क्यों हुआ नोटिफिकेशन सदन के

पटल पर रखने के लिए ? सरकार सीरियस नहीं है दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराने के लिए।

श्री पी. एम. सईद: डिले इसलिए है, एक बात तो यह है कि इलेक्शन कराने के लिए जितने पैरा मिलिट्री फोर्स की जरूरत थी, उतने नहीं था और एक बात और है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो इलेक्टरल रोल्स हैं, वे पूरे करने हैं। इसलिए नेशनल केपिटल टेरिटरी की गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन के लिए कहा है इस महीने के आखिर तक। इसलिए हम इस सभा से यह पूछना चाहते हैं कि 31 तक. (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : और यह विलम्ब क्यों हुआ, इसके भी कारण बताएं ?

उपसभापति : वही तो बता रहे हैं। विलम्ब इसलिए हुआ कि वह डिले हुआ, जब तक वह तय नहीं हो जाता और ये पेपर यहां रखते तो गलत पेपर रखते और फिर आप कहते कि गलत पेपर रख रहे हैं।

श्री पी. एम. सईद: यही तो बात है। आप पूरा समझे नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नहीं, नहीं। नोटिफिकेशन तो इन्होंने 28 फरवरी को जारी कर दिया था . . (**व्यवधान**) . .

श्री पी. एम. सईद : सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन दिया है, उसका भी पालन करना है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 28 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें कोई चेंज नहीं किया है। 28 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था . . (**व्यवधान**) . .

श्री पी. एम. सईद : यह सही है कि 28 फरवरी को नोटिफिकेशन दिया था। हम तो कह रहे हैं, 31 मई तक ही हम पूछ रहे हैं, कि जितनी जल्दी हो सकता है हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, पर है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमें यह गाइडलाइन दिया है कि आप पहले इलेक्टेरल रोल्स पूरा करें और उसके बाद ही यह करें, इसलिए यह एक्सटेंशन मांगा है।

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994.

(ii) Appropriation Account (1993-94) of Union Government (Civil).

(iii) Finance Account (1993-94) of the Union Government

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MATANG SINGH) on behalf of SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY, I lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended the 1st March, 1994 (No. 1 of 1995—Union Government (Civil). (Placed in Library. See No. LT-7471195).

(ii) Appropriation Accounts of Union Government (Civil) for the year 1993-94. (Placed in Library. See No. LT-7472195).

(iii) Finance Accounts of Union Government for the year 1993-94. (Placed in Library. See No. LT-7473195).